[Shri Pawan Kumar Bansal]

Madam, the new academic year started in April this year but the students were disappointed once again to find that their book packets did not contain many books which the NCERT had failed yet again to bring out in time. The NCERT has always boasted of producing innovative study material for the young students. But, year after year, when books are changed and supposedly improved ones are prescribed it is a long and agonizing wait for the students before these are finally made available. At a time when we emphasise the need to draw the maximum out of every passing moment, two precious months are wasted without books. When these arrive there is the added syllabus and with teachers rushing through the same, all the proclamations about the revolutionary embellishment of the educational system for the young sound hollow. In the process; it is the students who suffer. Madam, I do not know whether it is the writers or the printers who failed the NCERT to honour their commitment. But there cannot be any doubt about the fact that ultimately it is the responsibility of the NCERT. If the planning is done in time and the decisions are arrived at promptly, the execution thereof will brook no delay. I hope the NCERT incorporates this simple chapter in their operation manual. This, of course, is for the future. For the present, I only hope and urge earnestly that the Government take note of this and shake the NCERT out of its slumber so that the cause of the students, the cause of the future of the nation does not suffer. Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): I associate myself, Madam, with the sentiments expressed by Mr. Bansal because many students are not getting these text-books.

STATMENT BY MINISTER

II. Liberalisation of the Rates of Family Pension and Retirement-cum-Withdrawal Benefits under the Employees' Family Pension Scheme, 1971

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय): माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकार कर्मकारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री ने उन सभी उपायों का समर्थन किया है जो कर्मकारों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले हों, न कि कर्मकारों के लाभ के उपायों का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने की महत्ता पर बल दिया है कि सामाजिक सुरक्षा उपायों से कर्मकारों को उन खतरों से सुरक्षा और विश्वास की भावना मिलती है जिनका उन्हें कारखानों, खानों, बागानों या किसी अन्य उद्योग या प्रतिष्ठान में सामना करना पड़ता है।

प्रधान मंत्री के निदेशों और समर्थन को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्षेत्र तथा स्तर का विस्तार किया है। सरकार को उन कर्मकारों के परिवारों को, जो कर्मचारी परिवार पेंशन के सदस्य हैं तथा जिसकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती है, परिवार पेंशन की दरों में और वृद्धि करने, तथा ऐसे कर्मकारों को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अपनी-अपनी सेवा-शर्तों के अधीन सेवा-निवृत्त होने पर, त्याग पत्र देने पर, सेवा-निवृत्ति व निकासी लाभों में सुधार करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। परिवार पेंशन-निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोड (के०न०वो०) ने योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन और सेवा निवृत्ति व निकासी लाभों की दरों को और उदार बनाने की सिफारिश की है। उन कर्मकारों के, जिनकी उस समय मृत्यु हो जाती है जब वे भविष्य निधि के सदस्य है परिवारों को 140– रु० से लेकर

630/- रु० के बीच की परिवार पेंशन की वर्तमान पात्रता की तुलना में, नई दरें 225/- रुपये से लेकर 750/- रुपये के बीच होगी।

जहां तक उन कर्मकारों की सेवा-निवृत्ति व निकासी लाभों का संबंध है, जो इस समय 110/- रुपये (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) से लेकर 9000/- रुपये (40 वर्ष की सदस्यता के लिए) तक के बीच लाभों के हकदार हैं, सिफारिश किए गए लाभों की बढ़ी हुई दरें ग्रेडिड स्केल में होंगी। 690/-रु० तक अन्तिम वेतन लेने वालों के लिए दिए जाने वाले लाभ 110/- रुपये से लेकर 9000/- रुपये तक के बीच होंगे, जैसा इस समय है, लेकिन 690/- रु० से अधिक की वेतन सीमा वालों के लिए अधिकतम लाभ राशि 19,825 रुपये तक हो सकती है।

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की इन सिफारिशों को उस उपाय के रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया है जिससे हमारे उन औद्योगिक कर्मकारों को पर्याप्त लाभ मिलने में मदद मिलेगी जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से औद्योगिक विकास की वृद्धि में योगदान किया है तथा भारत के आर्थिक विकास में जिनका योगदान हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आशा करता हूं कि इस देश को औद्योगिक ताकत के रूप में स्थापित करने में कर्मकारों को उनके प्रयासों हेतु पूर्ण समर्थन देने में मेरा साथ देगा तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण, जो पिछले तीन वर्षों से कायम रहा है, के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहेंगे। कर्मकारों तथा प्रबन्धकों दोनों ने ही इन उपलब्धियों में योगदान किया है और मुझे विश्वास है कि उसके लिए उन्हें शुक्रिया अदा करने में सदन मेरे साथ है।

मैं एक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं जिसमें परिवार पेंशन और सेवा-निवृत्ति व निकासी लाभों की संशोधित दरों के ब्यौरे दिए गए हैं, जो पहली अप्रैल, 1988 से लागू होंगी।

विवरण

कर्मचारी परिवारी पेंशन योजना 1971 के अन्तर्गत परिवार पेंशन और सेवा-निवृत्त व निकासी लाभों की संशोधित दरों का ब्यौरा

(i) **परिवार पेंशन की संशोधित दरें**

सदस्य का वेतन	परिवार पेंशन की मासिक दर
300/- रु० से कम	225/- रु० (निर्धारित)
300/- रु० से अधिक लेकिन 650/- रु० से अनधिक	275-रु/० (निर्धारित)
650/- रु० से अधिक लेकिन 1200/- रु० से अनधिक	वेतन का 40 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 300/- रु० और अधिकतम 450/- रु० हो।
1200/- रु० से अधिक लेकिन 1600/- रु० से अनधिक	वेतन का 35 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 450/- रु० और अधिकतम 510/- रु० हो।

1600/- रु० से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 510/- रु० और अधिकतम 750/- रु० हो ।

(ii) सेवा निवृत्त व निकासी लाभ

अन्तिम वेतन	उपलब्ध लाभ
690/- रु० तक वेतन	110/- रु० (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) से 9000/- रु० तक (40 वर्ष की सदस्यता के लिए)
691/- रु० से लेकर	न्यूनतम 112/- रु० से 181/- रु० तक (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) अधिकतम 9000/- रु०
1130/- रु० तक	(40 वर्षों की सदस्यता के लिए)
1131/- रु० से लेकर	न्यूनतम 182/- रु० से 400/- रु० तक
2500/- रु० तक	(एक वर्ष की सदस्यता के लिए) अधिकतम 9040/- रु० से 19,825/- रु० तक (40 वर्षों की सदस्यता के लिए)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल टी सं० 5979]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति जी, यह जो विवरण माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करता हूं । लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सरकार जो नियम या कानून बनाती है, वे प्रभावी नहीं हो पाते हैं और जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है । अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी पारिवारिक पेंशन और दूसरी राशियों का भुगतान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके जो आश्रित है वे बेसहारा हो जाते हैं । तो मैं मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतरिम रूप से उसको कुछ माहवारी पेंशन मिलनी शुरू हो जाए । कभी-कभी तीन तीन और चार चार वर्ष लग जाते हैं । इसलिए चूंकि अंतरिम पेंशन की राशि तय करने में काफी समय लगता है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाए, उसके आश्रितों को कोई धनराशि अंतरिम राहत के रूप में मिलती चाहिए । अगर ऐसा नहीं होगा तो वास्तविक जो घोषणा की गई है उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी । दूसरा मेरा आग्रह यह है कि यदि किसी कर्मचारी की कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में यदि कोई योग्यता प्राप्त लडका या लड़की है तो उसको इस बात से सुनिश्चित करना चाहिए कि उसको कम से कम नौकरी अवश्य मिलेगी । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं ।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): I have gone through the statement and I also had the occasion to go through the Budget documents where I found in Volume II on the expenditure side that almost double the amount that was provided last year, has been provided this year. And according to the Budget Estimates, this was done to liquidate the past arreas. This statement does not explain whether past arrear was caused due to administrative lapses. Actually, there

is no mention about the Budget estimates. I hope the Minister will explain it. About the recommendations of the Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund, it has not been stated as to how many workers do not get their due share when they retire and when they actually need the money most. We know that workers of the closed sick industries do not get withdrawals from their provident fund when they need it most.

The other aspect of the provident fund administration is that employers do not deposit their share, and no action is taken by the Government against them. I would like to know what administrative action they are planning to streamline the provident fund administration so that workers get their dues according to law when they need it and they are not put to hardships. I would like the Minister to explain this aspect as also the discrepancies between the Budget estimates and the statement made here.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, there can be no reason why one should not welcome even a partial step that the Government has taken. But while taking this opportunity for welcoming the steps announced by the Government, I shall seek a number of clarifications from the Minister.

I do not know whether the Minister is aware that interest calculation of the employees' provident fund is extremely faulty. It is done on yearly basis while in case of Government employees, the interest calculation is on monthly basis. It means the workers lose a big sum of money at the end of their career. I do not know why interest calculation of employees provident fund cannot be made on monthly basis as is done in many other agencies, particularly the Government agency. I hope they will look into this aspect. I understand a number of members on the Trustees Board, including a number of leading trade-union leaders of the country have written to the Government as also to the Labour Ministry on this problem. Unfortunately, there has been no reply. I hope the Minister will reply to this aspect.

Secondly, there is inordinate delay in payment of provident fund dues to the employees. Justice delayed means injustice. In the same way the workers at the end of their career need money and this payment is denied to them for a long time. The workers have to run from one place to another to get settlement of their dues. So, unless the Government takes steps for timely payment, this becomes redundant.

Thirdly Madam, there is another point. What is the Government doing in regard to the defaulters, who take money from the workers but do not deposit the same and in the long run the workers are ruined? What is the Government going to do about it? A number of cases are pending in the courts and I should say the judiciary had been generous in giving long time for payment. Therefore, there should be an amendment whereb the personal property of the defaulters should be attached. In that way only the intentions of the Government will be meaningful to the people.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairman, I congratulate the Government on this announcement in regard to the revised rates of family pension. This is a welcome measure and we must congratulate the Government in this regard.

I would now like to seek one or two clarifications from the hon. Minister. I would like to know from the hon. Minister, what is the rationale behind this fixing of percentages of 30.35 and 40. Then, I find here that if the pay is below Rs. 300, the pension is Rs. 225 and in the case of persons whose pay exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 650, it is Rs. 275. In other words, persons drawing pay from Rs. 10 to Rs. 650 have been put in one bracket.

[Shri Ghulam Rasool Matto]

I think they should have been in different brackets and the pension should also have been Rs. 300 and Rs. 350 respectively.

Secondly, I would like the hon. Minister to inform us what is the net outgo in terms of these revised rates according to present estimates?

Thirdly, as has been rightly pointed out by Shri Gurudas Das Gupta, what is the Government going to do in regard to those companies, firms and others who have deposited the employees' share but have not deposited their own share into the exchequer, thereby depriving the workers of their due share and in the meantime have gone bankrupt? I would like to know what steps have been taken by the Government?

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, I welcome this announcement which has given some relief to the family members of deceased workers. Of course, some relief has been given and some amounts have been increased. But the whole difficulty will arise when it comes to the question of providing the amount to the concerned worker and their family members in time. The workers do not get the payment in time. They have to go round and round the offices and they have to spend more than what they get. If they get Rs. 900, they have to spend nearly Rs. 800. I would like to know from the hon. Minister what necessary steps are being taken to see that whatever facilities, whatever benefits you want to give to the families of deceased are given to them in time and without any undue hardship.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से केवल एक छोटी सी जानकारी चाहूंगा कि परिवार पेंशन जब मिलती है तो यदि किसी महिला के पति का निधन हो जाय या वह तलाक ले ले और उसके पश्चात् वह दूसरी शादी किसी सरकारी कर्मचारी से करती है तो आज स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली परिवार पेंशन उसकी दूसरी शादी होने के कारण उस पत्नी को नहीं मिलती है। मेरी समझ में उसका कोई कारण नजर नहीं आता है क्योंकि शादी पूर्णतः वैधानिक होती है। दूसरी शादी तलाक की नौबत के कारण या पति के निधन के कारण महिला करती है तो उसके बाद उसका पति जो सरकारी कर्मचारी था, उसे पेंशन मिलना पूर्णतः न्यायोचित होगा। क्या इसके बाद भी इस योजना पर विचार किया जायेगा ? इतना ही मेरा प्रश्न है।

श्री राधाकिशन मालवीय : माननीय उपसभापति महोदया, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, परिवार पेंशन के संबंध में जो संशोधन किये गये हैं उसका समर्थन किया है। जैसा कि माननीय सदस्यों की भावना है कि इसका निपटारा जल्दी हो, मजदूरों को पेंशन देने में विलम्ब न हो इस संबंध में माननीय सदस्यों ने कई बातें अपने विचार के साथ यहां प्रस्तुत की हैं। मैं माननीय सदस्यों की इन भावनाओं की कद्र करता हूं। महोदया, आज ही लोकसभा में इस संबंध में एक बिल पेश किया जा रहा है। प्रोविडेन्ट फन्ड के मामले में जो विलम्ब होता है, जो देरी होती है, हमारे मजदूर भाइयों को काफी दिनों तक अपने प्रोविडेंट फंड के लिए जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके निराकरण के लिए सदन में यह बिल लाया जा रहा है और उसके बाद उसका पालन किया जाएगा। जहां तक फेमिली पेंशन की बात है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What about the wrong way of calculating interest in the employees provident fund?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, let him conclude.

श्री राधाकिशन मालवीय : मैं आपकी एक-एक बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्ट के संबंध में आप अगर पहले जानना चाहते हैं तो मैं पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: He has interest in the interest only

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He has interest in the principal only (*Interruptions*).

श्री राधा किशन मालवीय : वैसे तो कर्मचारियों की परिवार पेंशन निधि पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है। किन्तु जो आपने कहा है कि उस संबंध में पेंशन की बकाया राशि भारत सरकार की तरफ 31-3-87 तक इसका जो पैसा बनता था उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है और प्रोविडेन्ट निगमों को और सरल बनाने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, एक नया संशोधन बिल लोक सभा में आज पेश हो रहा है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री गुलाम रसूल मट्टू साहब ने पूछा कि 300 रुपए से अधिक लेकिन 650 रुपए से अनधिक तक के लिए उनको 275 रुपये दिया जाता है। जैसा कि स्टेटमैंट में बताया गया जो पहले कम था उसको बढ़ा कर 275 रुपए निर्धारित किया गया है। स्टेटमैंट में बताया गया है कि 650 रुपए तक 275 रुपए और 650 रुपये से अधिक लेकिन 1200 रु० से कम वेतन का 40 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 450 रु० हो। 1200 रु० से अधिक लेकिन 1600 रु० तक वेतन का 35 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 450 रु० और अधिकतम 510 रु० हो और 1600 रु० से अधिक वेतन का 30 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम 510 रु० और अधिकतम 750 रु० होगा। इसी तरह से सेवा निवृत्ति, रिटायरमैंट में जो विदड्राल है उसके संबंध में है कि 690 रु० वेतन तक 110 रु० (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) से 9000 रु० तक (40 वर्ष की सदस्यता के लिए) 691 रु० से लेकर 1130 रु० तक न्यूनतम 112 रु० से 181 रुपये तक (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) अधिकतम 9000 रु० (40 वर्षों की सदस्यता के लिए है) 1131 रु० से लेकर 2500 रु० तक न्यूनतम 182 रु०, से 400 रुपये तक (एक वर्ष की सदस्यता के लिए) अधिकतम 9040 रुपए से 19,825 रु० तक (40 वर्ष की सदस्यता के लिए) इस प्रकार की व्यवस्था सेवा निवृत्ति व निवासी लाभ के लिए की गई है। माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी I.OOP.M. ने बताया कि कानून का पालन नहीं होता है राशि प्राप्त करने में देरी हो रही है। मैंने पहले ही यह बताया है कि इस संबंध में एक संशोधित बिल पार्लियामेंट में आ रहा है उसके बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा और सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जाएगी इसके बाद श्री गुरुदास दास गुप्त जी को मैंने अपनी जानकारी बता दी है। मट्टू साहब ने आंकड़े मांगे थे उनकी सम्पूर्ण डिटेल्ज मैंने दे दी हैं। श्री सत्यनारायण रेड्डी साहब ने यह कहा कि समय पर रुपया तत्काल नहीं मिलता है मैंने पहले यह बता दिया है कि इस संबंध में बिल पेश हो रहा है। यह बात सही है कि हमारे कर्मचारियों को जब वे प्रोविडेंट फण्ड के कार्यालय में जाते हैं तो उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं कभी-कभी बहुत से अड़ंगे आ जाते हैं कभी उनको कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने में देरी हो जाती है सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने में देरी हो जाती है इस तरह से कई कारणों से कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान में देरी हो जाती है। तो इस प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था हमने नये बिल में की है। मैंने जो स्टेटमैंट सदन में दिया है वह हमारे कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में है मैं चाहूंगा कि सदन इससे सहमत हो।

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा इसलिए मैं स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मुझे भी पूछना है।

उपसभापति : अब आप बैठ जाइये उनसे बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं मंत्री जी बतायें।

उपसभापति : आपने कोई क्वेश्चन रज नहीं किया था। आप बैठ जाइए। (*व्यवधान*) आप बैठ जाइए। आप आपस में मिल कर के बात कर सकते हैं बाद में।

श्री राम अवधेश सिंह : यह गलत बोलेंगे तो हम लोग क्या पूछेंगे नहीं ।

उपसभापति : बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : क्या घर में जा कर पूछें ?

उपसभापति : घर जाकर पूछने की बात नहीं है आप गलत डोर से उठ जाते हैं इसलिए यह गलत बात है ।

श्री राधाकिशन मालवीय : आप अगर इस पर अलग से नोटिस दे देंगे तो मैं इस पर जानकारी देने की कोशिश करूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the Discussion on the working of the Ministry of Home Affairs. Shri Samar Mukherjee.

Discussion on the working of the Ministry of Home Affairs

SHRI SAMAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, this debate on the working of the Ministry of Home Affairs is now taking place here under a new background. One background is that the Emergency Amendment Bill has already been passed. So we are be imposed. It is hanging on our heads. The implication of that Bill very much worried when it is going to has been discussed and it is such a reality that everybody is now feeling concerned.

The second thing is about Tripura. I gave one notice for making a Special Mention, but I have been asked to mention it in the course of my speech here. Yesterday there was a bye-election in Tripura. The constituency is Fatikrov. At 10 or 10.30 A.M. yesterday, the ex-Chief Minister who was here in our Politburo meeting, got a telephonic message that already six booths had been captured, the booths had been surrounded, no voters were being allowed to come, our election workers were not allowed to come, even our agents were not being allowed.

So I contacted the Chief Election Commissioner on phone and told him that I wanted to meet him along with the ex-Chief Minister because this was the development and the bye-election was going on there. He told me: "You send one written complaint and I will immediately ask our Chief Electoral Officer". He also told me that there was one non-official observer sent by him. He told "I am to move according to rules." Then, at 11 or 11-30 another telephone message came from Agartala, and there, our party had decided to withdraw from the election. Now our M.P., Mr. Narayan Kar, has come back this morning from Tripura. He gives the report that there are 23 booths and 13 have been captured by them. In the Fatikroy constituency where there are 15 panchayats, 13 panchayats are under our control and if there is a fair election there, they know there is no chance for them to get elected. That is why they have resorted to gangster methods. You see now our democracy has now started working under the Congress regime in Tripura.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): They are murderers of democracy.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Later on my self and Mr. Nripen Chakraborty together met the Chief Election Commissioner here yesterday and gave these written complaints. And what are the facts?

A warrant has been issued against the election agent before the starting of the election—two three days before. The Reurning Officer has been promoted after the election was announced: he has been made a Sub-Divisional Officer after selecting him as Returning Officer, to oblige the Congress. Then there are warrants issued against 200 of our election cadres. house-to house attacks have been organised and near about 1000 workers of their contituency are not able to go to their areas. Another report is that voters are also not